रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 1999/श्रावण 28, 1921
No. 68] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 1999/SRAVANA 28, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1999

फा. सं.-11/5/86-ईपी (एग्री-IV).—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(i) "अधिनियम" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) अभिप्रेत है;

(ii) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(iii) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(iv) "समिति" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई समिति अभिप्रेत है;

(v) "सक्षम प्राधिकारी" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(vi) "निदेशक" से प्राधिकरण का निदेशक अभिप्रेत है;

(vii) "कर्मचारी" से उसके वेतनमान या प्रास्थिति को ध्यान में लाए बिना प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(viii) "सरकार जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार आती है" से भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय या किसी अन्य संदर्भ में समुचित मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ix) "सदस्य" से प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी आता है;

(x) "रजिस्टर" से प्राधिकरण द्वारा बनाया गया निर्यातकर्ता का रजिस्टर अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन निर्यातकर्ता के रूप में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख के रूप में है;

(xi) "रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निर्यातकर्ता अभिप्रेत है;

(xii) "विनियम" से अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(xiii) "अनुसूची" से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(xiv) "अनुसूचित उत्पाद" से अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित कोई कृषि या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद अभिप्रेत है;

(xv) "सचिव" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;

(xvi) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(xvii) "वर्ष" से अप्रैल के पहले दिन से प्रारम्भ होने वाला और पश्चातवर्ती आगामी मार्च की 31 तारीख को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

अध्याय 2

प्राधिकरण की अधिवेशनों की प्रक्रिया

3. प्राधिकरण के अधिवेशन- (1) किसी वर्ष में प्राधिकरण की कम-से-कम तीन साधारण अधिवेशन ऐसी तारीखों और ऐसे स्थानों पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और किन्हीं दो साधारण अधिवेशनों के मध्य अंतराल किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगा। प्राधिकरण का पहला अधिवेशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में होगा ।

(2) अध्यक्ष, अत्यिकता की दशा में किसी भी समय प्राधिकरण का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और ऐसा तब भी कर सकेगा यदि कम-से-कम आठ सदस्यों द्वारा लिखित में उसे ऐसे अधिवेशनों के लिए ऐसी अध्यपेक्षा प्रस्तुत की जाती है जिसमें अध्यपेक्षित अधिवेशन का प्रयोजन और उसमें विचार करने के लिए कारबार उपवर्णित किया गया हो ।

4. आमंत्रित करने की अध्यक्ष की शक्ति : अध्यक्ष, प्राधिकरण के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित कर सकेगा और ऐसा आमंत्रित व्यक्ति अधिवेशन की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा किन्तु ऐसा अधिकारी या व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा ।

5. केन्द्रीय सरकार की अधिवेशन बुलाने की शक्ति :- इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार किसी भी समय प्राधिकरण का अधिवेशन बुला सकेगी ।

6. साधारण अधिवेशनों की सूचना :- प्राधिकरण के किसी साधारण अधिवेशन से पहले 14 पूर्ण दिन की सूचना आशयित अधिवेशन का समय, तारीख और स्थान की सूचना देते हुए सचिव द्वारा हस्ताक्षरित केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ी या डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

7. गणपूर्ति- (1) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में कोई कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अध्यक्ष का सम्मिलित करते हुए कम-से-कम आठ सदस्य ऐसे अधिवेशन में उपस्थित न हों ।

(2) यदि किसी समय किसी अधिवेशन में सदस्यों की संख्या उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से कम हो तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति स्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सदस्यों को सूचना देने के पश्चात् अधिवेशन स्थगित करेगा और ऐसे स्थगित अधिवेशन करने वाले व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान में लाए बिना मूल अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने के लिए आशयित कारबार को निपटाए ।

8. अधिवेशन का अध्यक्ष :- अध्यक्ष प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशन में उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए उनमें से एक का चयन करेंगे ।

9. कार्यसूची- (1) अध्यक्ष साधारण अधिवेशन की दशा में प्राधिकरण के अधिवेशन से कम-से-कम दस दिवस पहले ऐसे अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने के लिए कारबार की सूची तैयार कराएगा और केन्द्रीय सरकार तथा प्राधिकरण के सदस्यों के बीच परिचालित कराएगा ।

(2) कोई कारबार का संव्यवहार जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय प्राधिकरण के अधिवेशन में नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि कार्यसूची के जारी करने के पश्चात् उसका संशोधन या परिवर्धन करना विधिपूर्ण होगा ।

10. मतदान :- (1) प्राधिकरण के अधिवेशन के समक्ष लाया गया प्रत्येक प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किया जाएगा ।

(2) समान मत होने की दशा में अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन का पीठासीन सदस्य द्वितीय या निर्णायक मत देगा ।

11. परिचालन द्वारा कारबार : (1) ऐसा कोई कारबार जिसका संव्यवहार प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा सदस्यों को (ऐसे सदस्यों से भिन्न जो भारत में नहीं है) निर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित कागज पत्रों की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन परिचालित और सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्ताव या संकल्प जिन्होंने लिखित में उनके विचार व्यक्त किए हो, उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकर होगा मानो ऐसा प्रस्ताव या संकल्प किसी अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो :

परन्तु यह कि प्राधिकरण के कम से कम आठ सदस्यों ने प्रस्ताव या संकल्प का अनुमोदन किया हो :

परन्तु यह और कि जब तक कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तब कोई आठ सदस्य यह अपेक्षा कर सकेंगे कि प्रस्ताव या संकल्प प्रधिकरण के किसी अधिवेशन में सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाए ।

(3) जहां कोई कारबार उपविनियम (1) के अधीन सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तब कम से कम पन्द्रह पूर्ण दिवस सदस्यों से उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे और ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको कारबार की सूचना निकाली जाती है ।

(4) यदि इस विनियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है तो ऐसे परिचालन का परिणाम कार्यसूची कागज-पत्र के अभिलेख में उपवर्णित करके बोर्ड के आगामी अधिवेशन में सभी सदस्यों को और केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा ।

12. प्राधिकरण के समक्ष रखे जाने वाले कागज पत्र :- कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा इस प्रकार विनिश्चित प्रश्नों से संबंधित सभी कागज पत्र अभिलेख के लिए प्राधिकरण के आगामी अधिवेशन में रखे जाएगें ।

13. कारबार का अभिलेख– (1) प्राधिकरण का सचिव प्राधिकरण के सभी अधिवेशनों में उपस्थित रहेगा और उसमें संव्यवहार किए गए कारबार की सभी मदों की कार्यवाहियों का उसके द्वारा अभिलेख रखा जाएगा। ऐसे अभिलेख की प्रतियां उक्त अधिवेशन की तारीख से तीस दिवस के भीतर केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी :

परन्तु यदि किसी कारण से सचिव, प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ हो तो ऐसा कोई पदधारी या अन्य कृत्यकारी, जिसे अध्यक्ष इस अस्थायी प्रयोजन के लिए पदाभिहित करें, यह विधिपूर्ण होगा कि वह कार्यवाहियों का अभिलेख लिखे ।

(2) जब विनियम (9) के अधीन कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार किया जाता है तब इस प्रकार संव्यवहार किए गए कारबार का अभिलेख अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

(3) प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन में संव्यवहारित कारबार का अभिलेख, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन के पीठासीन सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

(4) प्राधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय और निदेश प्राधिकरण के संकल्प के रूप में अभिलिखित, निर्दिष्ट और संसूचित किया जाएगा ।

अध्याय - 3
प्राधिकरण की समितियां

14. समितियों की नियुक्ति – प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान आयोजित की जानेवाली अपनी पहली अधिवेशन में संकल्प द्वारा निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा, अर्थात् :-

(अ) कार्यपालक समिति

(आ) निम्नलिखित उत्पाद समूह के लिए एक समिति होगी जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद समिति कहा गया है जो उसके गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद भार धारण करेगी :

क) ताजी और प्रसंस्कृत फल और सब्जियां तथा अन्य प्रसंस्कृत और प्रकीर्ण उत्पाद

ख) पशु उत्पाद

ग) पुष्प कृषि, बीज और अनाज

कार्यपालक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(i) अध्यक्ष, जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा :

(ii) निदेशक, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास (एपीडा)

(iii) वाणिज्य मंत्रालय में निर्यात संवर्द्धन (कृषि) प्रभाग का भारसाधक निदेशक/उपसचिव,

(iv) वाणिज्य मंत्रालय में निदेशक/उपसचिव (वित्त)

(v) सचिव ; और

(vi) प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा, उनमें से उस रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की जाए, निर्वाचित किए जाने वाले पांच अन्य सदस्य ।

प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए उत्पाद समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(i) अध्यक्ष, जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा ।

(ii) निदेशक, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ।

(iii) सचिव या उत्पाद समूह से संबंधित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी जिसे सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए ।

(iv) प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उनमें से उस रीति में जो प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की जाए, निर्वाचित किए जाने वाले पांच सदस्य ।

15. समितियों के कृत्य - (1) कार्यपालक समिति, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किए जाएं, ऐसे कृत्यों के अतिरिक्त जो उसे इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित किए गए हैं, उत्पाद समिति को इसके अधीन विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित नहीं किए गए विषयों के संबंध में प्राधिकरण के अन्य कृत्यों का भी निर्वहन करेगी ।

(2) प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए समिति, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किए जाएं, समिति को समनुदेशित अनुसूचित उत्पादों से संबंधित सभी तकनीकी विषयों के संबंध में विमर्श, सलाह सिफारिश करेगी और विनिश्चय करेगी और ऐसे उपायों पर भी सलाह देगी जो समिति को समनुदेशित अनुसूचित उत्पादों के संबंध में कार्यकलापों के विकास के लिए किए जाएं ।

कार्यपालक समिति और उत्पाद समितियों की शक्तियां — प्राधिकरण की प्रत्येक समिति के पास प्राधिकरण की सभी शक्तियां होंगी और किसी भी समिति द्वारा किया गया प्रत्येक विनिश्चय प्राधिकरण का विनिश्चय समझा जाएगा, परन्तु प्रत्येक समिति का प्रत्येक विनिश्चय जो नीतिगत प्रकृति का है या जिसमें प्राधिकरण या सरकार से निकाली जाने वाली निधियों के रूप में 5 लाख रूपए या उससे ऊपर की वित्तीय विवक्षाएं अंतर्वलित हैं उसे प्राधिकरण के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा और यदि विनिश्चय को आठ या अधिक सदस्य, उनको उनको विनिश्चय की सूचना जारी किए जाने की तारीख से 14 दिन के भीतर विनिश्चय पर आक्षेप करते हैं तो उसका कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया जाएगा ।

16. प्राधिकरण की पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने की शक्ति — प्राधिकरण को किसी समिति के किसी विनिश्चय का प्राधिकरण की किसी विशेष या साधारण अधिवेशन में पुनर्विलोकन करने, परिवर्धित करने और उसका संशोधन करने का अधिकार और शक्ति प्राप्त है, यह इस शर्त के अधीन होगा कि पहले से की गई या निष्पादित की गई संविदाएं या पुनर्विलोकनाधीन विनिश्चयों के भाग जिन्हें पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है वे प्राधिकरण द्वारा परिवर्धन या संशोधन अथवा पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होंगे ।

17. कार्यपालक समिति और उत्पाद समितियों का गठन- (1) प्राधिकरण साधारण अधिवेशन में प्रत्येक समिति की सदस्यता का विनिश्चय करेगा ।

(2) प्राधिकरण द्वारा समिति में नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उस पद को प्राधिकरण का सदस्य रहने तक या समिति की कालावधि तक, जो भी पूर्वतर हो, धारण करेगा ।

18. तदर्थ समितियां — (1) प्राधिकरण, किसी साधारण या विशेष अधिवेशन में प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों सहित जिसे वह उचित समझे, कार्यपालक समिति या उत्पाद समिति से भिन्न एक या अधिक समितियों के गठन का विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण के सदस्यों में से ऐसी अवधि के लिए जिसे वह अवधारित करे उसके सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगा ।

(3) कार्यपालक समिति या उत्पाद समिति से भिन्न प्रत्येक ऐसी समिति केवल ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो उसे सौंपी गई है, और ऐसी शक्तियां जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई हैं प्रयोग करेगी ।

19. अध्यक्ष की मंजूरी के अधीन रहते हुए समितियों के विनिश्चय का कार्यान्वयन— किसी समिति का कोई विनिश्चय सभापति की विनिर्दिष्ट मंजूरी के बिना कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा ।

अध्याय- 4

समितियों की अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया

20. सभापति का अधिवेशन बुलाने की शक्ति — अध्यक्ष किसी भी समय किसी समिति का अधिवेशन बुला सकेगा और ऐसा ही तब कर सकेगा जब उस समिति की आवश्यक सदस्य संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा लिखित में उससे अधिवेशन बुलाए जाने की मांग प्रस्तुत की हो, उसमें अधिवेशन बुलाए जाने का प्रयोजन और किए जाने वाले कारबार के संव्यवहार के बारे में उल्लेख होगा ।

21. अधिवेशन की सूचना — (1) अध्यक्ष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए प्राधिकरण के किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा ऐसे अपेक्षा या आमंत्रित किए गए अधिकारी या व्यक्ति को अधिवेशन में उपस्थित होने का अधिकार होगा किन्तु वह ऐसी अधिवेशन में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(2) आशयित अधिवेशन के समय और स्थान की सूचना सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कम से कम 15 दिन पहले समिति के प्रत्येक सदस्य के पते पर दी जाएगी या डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

22. लघु सूचना पर विशेष अधिवेशन—अत्यावश्यकता की दशा में किसी समिति की विशेष अधिवेशन ऐसी लघुतर सूचना पर जो आवश्यक और साध्य हो किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सकेगी जो उसके सदस्यों को विमर्श किए जाने के लिए विषय-वस्तु और उसके कारणों को बताते हुए जिसके लिए वह ऐसा अत्यावश्यक अधिवेशन बुलाना आवश्यक समझते हैं अग्रिम सूचना देंगे ;

परन्तु यह और कि किसी समिति के ऐसे विशेष अधिवेशन में कोई साधारण कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

23. केन्द्रीय सरकार को सूचना दिया जाना - किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

24. कार्यसूची - (1) सम्बद्ध समिति का अध्यक्ष समिति के अधिवेशन से कम से कम 15 दिन पूर्व ऐसे अधिवेशन में संव्यवहरित किए जाने वाले कारबार की एक सूची तैयार कराएगा और समिति के सभी सदस्यों को परिचालित करेगा

(2) किसी समिति की किसी अधिवेशन में उसके अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना किसी कारबार का, जो कार्यसूची में पहले से ही या तत्पश्चात् सम्मिलित नहीं किया गया है, संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(3) समिति का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और सदस्यों तथा केन्द्रीय सरकार को, प्रत्येक अधिवेशन के 15 दिन के भीतर, परिचालित किया जाएगा ।

25. गणपूर्ति — (1) किसी समिति के किसी अधिवेशन की गणपूर्ति ऐसी समिति की कुल संख्या का एक बटा चार होगी ।

(2) यदि किसी समय समिति के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या उक्त विनियम (i) में विनिर्दिष्ट संख्या से कम है तो, अध्यक्षता करनेवाला व्यक्ति अधिवेशन की तारीख से 7 दिन से अनधिक की अवधि के लिए अधिवेशन को आस्थगित कर देगा और समिति के सभी सदस्यों को आस्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा और अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे आस्थगित अधिवेशन में उपस्थित होनेवाले सदस्यों की संख्या को ध्यान में लाए बिना मूल अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने के लिए आशयित कारबार का निपटारा करे ।

26. अधिवेशन का अध्यक्ष— (1) अध्यक्ष समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित सदस्यों में से नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(2) किसी समिति के समक्ष विनिश्चय के लिए आने वाले सभी प्रश्नों पर विनिश्चय उसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों की समान संख्या होने की दशा में ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

(3) जब तक कि ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करनेवाला व्यक्ति यह विनिश्चय नहीं करे कि मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा, सभी मत अधिवेशन में हाथ उठाकर लिए जाएंगे ।

(4) कोई कारबार जिसका किसी समिति द्वारा संव्यवहार किया जाना है यदि अध्यक्ष ऐसा आवश्यक समझे, कागज पत्रों को परिचालित करके ऐसी समिति के सदस्यों को (उन सदस्यों से भिन्न जो भारत से अनुपस्थित हों) निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) ऐसी समिति के बहुमत सदस्यों द्वारा परिचालित और अनुमोदित कोई प्रस्ताव या संकल्प, जिस पर उन्होंने अपने विचार लिखित में अभिलिखित किए हैं उस प्रकार प्रभावी और आबद्धकर माने जाएंगे मानों ऐसे प्रस्ताव या संकल्प का विनिश्चय ऐसी समिति के बहुमत सदस्यों द्वारा अधिवेशन में किया गया हो :

परन्तु यह कि ऐसी समिति के तीन सदस्य यह अपेक्षा करते हैं कि ऐसे प्रस्ताव या संकल्प को समिति की अधिवेशन में सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाए, तथा प्रस्ताव या संकल्प समिति के अधिवेशन में रखा जाएगा ।

(6) जहां कोई प्रस्ताव या संकल्प उपनियम (iv) के अधीन समिति के सदस्यों को कागज पत्रों के परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है वहां उत्तरों की प्राप्ति के लिए 10 दिन की अनधिक की अवधि अनुज्ञात की जाएगी और ऐसी अवधियों की गणना उस तारीख से, जिसको ऐसा प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है, की जाएगी ।

(7) यदि इस विनियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा ।

(8) कागज पत्रों के परिचालन द्वारा किए गए सभी विनिश्चय समिति को आगामी अधिवेशन के अभिलेख के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(9) किसी प्रस्ताव या संकल्प की प्रतियां और कागज पत्रों के परिचालन के परिणाम उनके परिचालन संसूचित किए जाने के समय यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या समिति के सदस्यों को भेजे जाएंगे ।

27. कारबार का अभिलेख — प्राधिकरण का सचिव और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा यथाअपेक्षित प्राधिकरण का कोई अधिकारी प्रत्येक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और समिति के सभी अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और समिति के सभी अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखेंगे जो सभापति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे । प्रत्येक समिति के लिए पृथक कार्यवाही बही रखी जाएगी ।

अध्याय — 5

प्राधिकरण के कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, सेवा शर्तें आदि

28.(1) प्राधिकरण की सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक द्वारा की जाएगी :

(क) सीधी भर्ती

(ख) प्रोन्नति

(ग) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किन्हीं सरकारी/स्वशासी संगठनों से प्रतिनियुक्ति

(घ) संविदा नियुक्ति

(2) सीधी भर्ती की पद्धति को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के विभिन्न काडर निम्नानुसार वर्गीकृत किए जा सकेंगे :-

समूह क - ऐसा पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 13500 रूपए से अन्यून हो ।

समूह ख - ऐसा पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 9000 रूपए से अन्यून किन्तु 13500 रूपए से कम हो ।

समूह ग - ऐसा पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4000 रूपए से अन्यून हो किन्तु 9000 रूपए से कम हो ।

समूह घ - ऐसा पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4000 रूपए या उससे कम हो ।

(3) यदि पुनर्स्थापन महानिदेशालय उचित समझे तो, समूह ख, समूह ग और समूह घ पदों पर भर्ती रिक्तियों को रोजगार कार्यालय में अधिसूचित कर के की जाएगी, परन्तु यह कि समूह ख, समूह ग और समूह घ पदों की प्रश्नगत रिक्तियों की दशा में उनकी बाबत अध्यक्ष पूर्व अनुभव अपेक्षित समझता है तो भर्ती पदों को विज्ञापित करके भी की जाएगी ।

(4) समूह क पदों की दशा में भर्ती उन अभ्यर्थियों में से जो, अखिल भारतीय स्तर पर इस निमित्त विज्ञापन के संदर्भ में आमंत्रित आवेदन पत्रों के उत्तर में अधिकथित न्यूनतम पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं, चयन द्वारा की जाएगी ।

(5) अभ्यर्थियों की आरंभिक रूप से छटनी और अंतिम चयन के प्रयोजन के लिए प्रारंभिक प्रतियोगितात्मक परीक्षण और साक्षात्कार परीक्षा दोनों जिसकी यथास्थिति अध्यक्ष, कार्यपालक समिति या प्राधिकरण द्वारा उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर पदों की बाबत विनिश्चित की जाएं, आयोजित की जाएंगी ।

(6) वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

(7) प्राधिकरण के अधीन इस पद पर नियुक्ति करने से पूर्व प्राधिकरण के लिए निम्नलिखित में से कोई या सभी करना विधिपूर्ण होगा :-

(क) अभ्यर्थी के सच्चरित्र होने के सबूत पेश करने की मांग ।

(ख) प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति की वैयक्तिक स्थिति के बारे में घोषणा और पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी विशिष्टियां, उसका पता और ठिकाना, उसके पूर्ववृत्त इत्यादि प्रस्तुत करने की मांग ।

(ग) स्वस्थ चित्त और शारीरिक स्वास्थ्य के सबूत की मांग और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त यह निदेश भी दिया जा सकेगा कि प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट पैनल चिकित्सक या चिकित्सक से स्वास्थ्य का ऐसा प्रमाण पत्र भी लिया जाए ।

(घ) प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति की प्राधिकरण के अधीन नियुक्ति के लिए उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व वृत्तों का सत्यापन करना ।

(8) " प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति मती नियमों में जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से पृथक रूप से अधिसूचित किए जाने हैं विनिर्दिष्ट परिवीक्षा के उपबंधों के अनुसार परिवीक्षा पर रहेगा ।"

(9) अध्यक्ष ऐसे प्रारूप, प्रक्रियाएं, प्रपत्र आदि को जो ऊपर उपविनियम (5), (6), और (7) के लिए आवश्यक और अनुलग्नक हो, बना और विहित कर सकेगा ।

(क) अध्यक्ष, ऐसे सभी पदों के लिए जिनका अधिकतम वेतनमान 13,500 रुपए से कम नहीं है, नियुक्ति प्राधिकारी होगा, परन्तु यह कि उसके द्वारा की गई सभी नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर पदों पर होंगी और वह इसकी रिपोर्ट प्राधिकरण की कार्यपालक समिति और केन्द्रीय सरकार को करेगा ।

(ख) ऐसे पदों पर जिनका अधिकतम वेतनमान 13,500 रुपए से कम नहीं है सभी नियुक्तियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे बाबत समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार या तो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के उपयुक्त अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

(ग) कार्यपालक समिति उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती में उसकी सहायता करने वाली ऐसी युक्तियां और प्रक्रियाएं बना सकती है जिन्हें वह उचित समझे । यद्यपि जहां ऐसी कोई प्रक्रियाएं विहित नहीं की गई हैं वहां अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा अंतिम चयन की स्थिति तक इस बाबत सभी कदम उठाएगा और समिति द्वारा चयनित व्यक्ति की नियुक्ति करेगा ।

(ङ) अध्यक्ष या समिति सहयोजन कर सकेगी या अन्य रूप से भर्ती और चयन कार्य में सहायता के लिए बाहरी विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगी तथा जहां ऐसा सहयोजन साक्षात्कार में सहायता के प्रयोजन के लिए किया गया है वहां इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस बाबत नियत मानदेय संदत्त किया जा सकेगा ।

(च) प्राधिकरण उचित समझे जाने पर संविदा सेवाएं ले सकेगा। 6 मास से अधिक अवधि की और/या 1800 रुपए अथवा अधिक के मूल मासिक पारिश्रमिक वाली कोई संविदा नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना नहीं की जाएगी ।

(छ) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की, पदोन्नति द्वारा किसी नियुक्ति पर विचार करने या आयु वर्जन शिथिल करते हुए प्राधिकरण में नियुक्ति करने पर कोई वर्जन नहीं होगा, परन्तु यह कि.-

(i) कर्मचारी के पास अन्य अपेक्षित अर्हताएं हैं, और

(ii) कर्मचारी पद के लिए उपयुक्त समझा जाता है ।

(ज) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर भर्ती केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से पृथकतः अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे पदों के भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

अध्याय VI

प्राधिकरण का वित्त पोषण, बजट और लेखा

20. बजट प्राक्कलन :- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए ऐसी तारीखों को या पहले भेजेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) जब तक केन्द्रीय सरकार बजट को मंजूर नहीं करती और सक्षम प्राधिकारियों से उस व्यय की मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा ।

(3) बजट में निम्नलिखित का विवरण सम्मिलित होगा :-

(क) प्राक्कलित प्रारम्भिक अतिशेष;

(क) यदि चैक और आदेश 25,000 रुपए से अनधिक रकम के हैं तो सचिव द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(ख) यदि चैक और आदेश 25,000 रुपए से अधिक रकम के हैं तो सचिव द्वारा और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे और सचिव की अनुपस्थिति में ऐसे चैक, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारियों हस्ताक्षरित होंगे ।

32. प्राधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित शक्तियां :-

(1) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें जिनमें की अधिवर्षिता की आयु और अन्य सुविधाओं जैसे अग्रिम वेतन, वाहन की खरीद, घरों के निर्माण तथा उन उपबन्धों के लिए अग्रिम, के संबंध में यदि इन विनियमों में या अन्य रूप से कोई उपबंध नहीं किए गए हैं तो वे ऐसे नियम एवं विनियमों से विनियमित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे स्थानों पर तैनात समान ग्रेड और हैसियत वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हैं सिवाय ऐसे उपबंधों के जो सेवा निवृत्ति के बाद होने वाले फायदों से, जैसे पेंशन, साधारण भविष्य निधि, चिकित्सीय प्रतिपूर्ति, संबंधित हैं।

(2) सिवाय इस कि जब विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित हो, प्राधिकरण का प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवा निवृत्ति की आयु वर्तमान में 58 वर्ष है, उस मास के अंतिम दिन में अपराह्न को, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु पूरी करता/करती है सेवा से निवृत्त होगा। यद्यपि ऐसे कर्मचारी, जिनके जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त होंगे ।

(3) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को, अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् विस्तारण देने पर पूर्ण पाबंदी होगी सिवाय ऐसे मामलों के जहां सेवा में विस्तारण को न्यायोचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां मामला दर मामला के आधार पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विस्तारण किया जाएगा ।

33. विदेश में प्रतिनियुक्ति से संबंधित शक्तियां :- प्राधिकरण अपने किसी अधिकारी या प्राधिकरण के सदस्य को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं भेजेगा ।

एस. एम. आचार्य, संयुक्त सचिव

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/153/99]

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना फा. सं. से क./एआईआर/02/93 दिनांक 18 जनवरी, 1994 द्वारा जारी की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 1999

F. No.-11/5/86-EP (Agri.-IV).—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), and in supersession of The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Regulation 1986 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of the Central Government, as required under sub-section (1) of the said section hereby makes the following regulations, namely:-

Chapter I

Preliminary

1. Short title and commencement: - (1) These regulations may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Regulations, 1999.